राष्ट्रीय महिला आयोग
फा.सं.05-3/1/2018/क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ(रा.म.आ.)
राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख: 16 अगस्त, 2018

विषय: महिलाओं से संबंधित विधियों पर महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्र-व्यापी प्रतियोगिता।

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम के अधीन एक उच्चतम कानूनी निकाय के रूप में की गई है। आयोग का मुख्य कार्य है महिलाओं के लिए संविधान एवं विधिक रक्षापायों से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन एवं अनुवीक्षण करना; वर्तमान विधानों की समीक्षा करना एवं जहां आवश्यक हो संशोधनों का सुझाव देना; शिकायतों पर विचार करना और महिला अधिकार वंचन के मामलों पर स्वप्रेरणा से बोध लेना ताकि असहाय महिलाओं को कानूनी या अन्य सहायता प्रदान की जा सके और महिला अधिकारों की रक्षा हेतु निर्मित सभी विधानों के कार्यान्वयन की अनुवीक्षा जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता तथा राष्ट्र निर्माण में समान भागीदारी प्राप्त की जा सके।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग ने, महिलाओं के संवैधानिक और विधिक अधिकारों/हकदारी आदि पर जानकारी का प्रचार करने की दृष्टि से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों, जिसमें सम विश्वविद्यालय (Deemed to be University) भी शामिल हैं, के स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए, द्वितीय राष्ट्र-व्यापी प्रतियोगिता आयोजित करने का विनिश्चय किया है। यह प्रतियोगिता महिलाओं के विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी का आकलन और तत्संबंधी जागरूकता बढ़ाएंगी। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय इसमें दिए गए ब्यौरों के अनुसार स्वयं इस प्रतियोगिता को अपने यहां आयोजित करेंगे।

3. प्रत्येक महाविद्यालय/संस्था को नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार 28,500 रू (अट्ठाइस हजार पांच सौ रूपये) तक का अधिकतम व्यय उपगत किया जाएगा जिसकी प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की जाएगी:

| क्रम सं. | मदें/विशिष्टियां | प्रतिपूर्ति की जाने वाली अधिकतम निधियां |
|---|---|---|
| 1. | प्रथम पुरस्कार (एक) | 2,000/- रू |
| 2. | द्वितीय पुरस्कार (एक) | 1,500/- रू |
| 3. | तृतीय पुरस्कार (पांच) | 5,000/- रू |
| 4. | अन्य इंतजाम (जिसके अंतर्गत प्रश्नपत्र तैयार करना, वीक्षण, परीक्षा/उत्तर पुस्तिका पर अंक देना, परिणाम तैयार करना, बैनर, जलपान आदि) | 20,000/- रू |
| 5. | कुल | 28,500/- रू |

4. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों का व्यय प्रतियोगिता आयोजित कराने के अलावा किसी आस्ति को उपाप्त करने या कोई अन्य क्रियाकलाप करने के लिए नहीं किया जाएगा।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल ऐसे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय जो किसी भी विषय में कोई स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करते हैं ही प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र होंगे। ऐसे महाविद्यालय जो 10+2 या इंटरमीडिएट स्तर पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और 10+2 या इंटरमीडिएट कक्षाओं के विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। सभी महाविद्यालयों से यह अपेक्षित होगा कि वे राष्ट्रीय महिला आयोग के आनलाइन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कराएं।

6. यह प्रतियोगिता तारीख 1 सितंबर, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 के बीच की किन्हीं भी तारीखों पर आयोजित की जा सकती है।

7. इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी जेंडर के भेदभाव के बिना, भाग ले सकते हैं।

8. प्रतियोगिता के लिए प्रश्नपत्र में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर इन्हें अंतिम रूप देगा। इसमें बहु विकल्प वाले कम से कम 75 प्रश्न होंगे। नीचे पैरा 11 में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिनियम/कन्वेंशन से कुछ प्रश्न सम्मिलित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को उचित और बाधारहित प्रतियोगिता

आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अपना प्रश्नपत्र स्वयं बनाएगा और परीक्षा लेगा। ऐसे सभी मामलों, जहां कोई भी क्रियाकलाप जैसे कि सामान्य प्रश्नपत्र, एक ही परीक्षा स्थल का प्रयोग एक या एक से अधिक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा, को निरस्त कर दिया जाएगा।

9. राष्ट्रीय महिला आयोग से पूर्व अनुमोदन लिए बिना ही महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। तथापि, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रतियोगिता आयोजित करने की तारीखों की सूचना राष्ट्रीय महिला आयोग को ई-मेल, अर्थात् ds-ncw@nic.in या ncw@nic.in के माध्यम से दे सकते हैं।

10. संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग ले। केवल ऐसे महाविद्यालयों को व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी जहां प्रतियोगिता में 50 या अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया हो। पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की दशा में विद्यार्थियों की संख्या में छूट दी जा सकती है और इन प्रदेशों के लिए विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 30 रखी गई है।

11. निम्नलिखित विधियों से संबंधित विषय इस प्रतियोगिता में शामिल किए जाएंगे:

i) भारत का संविधान मुख्य रूप से उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्त्तव्य, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 भी हैं।
ii) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20)
iii) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
iv) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
v) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
vi) दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2013 साथ में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम
vii) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
viii) गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971
ix) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
x) गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
xi) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

xii) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

xiii) अनुसूचित जातियां और अन्य परंपरागत वन विकासकर्ता (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2008

xiv) महिलाओं के विरूद्व विभेद और हिंसा समाप्त करने से संबंधित मुख्य अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन

12. राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर उपर्युक्त सूचीबद्व विधियों का पी.डी.एफ. पाठ (हिंदी और अंग्रेजी भाषा) उपलब्ध है। इन विधियों में से कुछ विधियों के संक्षिप्त वृतान्त के माड्यूल से संबंधित जानकारी भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

13. प्रतियोगिता आयोजित करने के पश्चात् महाविद्यालय/विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महिला आयोग के पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेज, इस प्रयोजन के लिए अलग साफ्टवेयर में, अपलोड करेंगे:

क. महाविद्यालय/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम

ख. विश्वविद्यालय जिससे संबद्व हैं

ग. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या

घ. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या

ङ. उपगत कुल व्यय (ब्यौरों के साथ ब्रेक-अप)

च. उपगत व्यय के बिल/वाउचर

छ. प्रतियोगिता में प्रयुक्त प्रश्नपत्र की प्रति

ज. राष्ट्रीय महिला आयोग से राशि निर्मोचित करने का प्रधानचार्य/महाविद्यालय के प्रधान/विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का अनुरोध पत्र जिसमें आई.एफ.एस.सी. सं., बैंक खाते का ब्यौरे आदि संलग्न हो)। सभी संदाय पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किए जाएंगे। संस्थाओं के साथ अलग से इस बाबत ब्यौरा सांझा किया जाएगा।

झ. प्रतियोगिता के दो या तीन फोटोग्राफ जिसमें प्रतियोगिता का स्थल और भाग लेने वाले दिखाई दें।

14. आयोग को प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा केवल बिलों और वाउचरों की हार्ड प्रतियां यथासंभव शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। सरकारी महाविद्यालयों/संस्थाओं की दशा में यदि लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा मूल बिल और वाउचर अपेक्षित है तब किसी

प्राधिकृत अधिकारी/संस्था के प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित, संबंधित दस्तावेजों की फोटोकापी प्रेषित की जा सकती है। प्रतिपूर्ति सीधे संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के खाते में जमा कर दी जाएगी।

15. यथासंभव शीघ्र प्रतिपूर्ति के दावे को प्रतियोगिता आयोजित करने के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

16. तारीख 28 फरवरी, 2019 के पश्चात् प्रस्तुत किए गए दावों को ग्रहण नहीं किया जाएगा।

**********